an>

Title: Need to empower National Commission for Scheduled Castes on the lines of National Human Rights Commission.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार द्वारा राÂष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना संविधान कि अनुच्छेद- 338 के तहत की गयी, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को संरक्षण मिले, सरकार के किसी आदेश के तहत जो सुविधाएं हैं, उनके अन्वेÂषण एवं उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखी जाए और अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों से वंचित करने की शिकायतों की जांच करे एवं संबंधित विभागों का इस संबंध में कार्रवाई करने की सलाह व निर्देश दे। लेकिन, देखने में यह आया है कि जब अनुसूचित जाति से संबंधित सरकारी कर्मचारी व अधिकारी, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, या उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और जब ये लोग राष्Âट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत करते हैं, तब विभाग के द्वारा इन्हें परेशान व प्रताड़ित किया जाता है और तरह-तरह के झूठे मामलों में इन्हें फंसाया जाता है और नौकरी से निकालने की कार्रवाई की जाती है। ऐसी अनेकों शिकायतें आ रही हैं।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि वह राष्Âट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ढांचा व अधिकार राÂष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समान बनाने पर विचार करे, ताकि राÂष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक शक्तिशाली संगठन बने एवं अनुसूचित जाति के सताए हुए लोगों को एक समयबद्ध सीमा में न्याय मिले। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, Vinod Kumar Sonkar, Dr. Kirit P. Solanki and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Virender Kashyap.